

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिलाहनुमानगढ़**  
**पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.**

प्रकरण सं० : 23/2018

अनवान :

1. मुखराम पुत्र भूरा जाति मेघवंशी निवासी बोझला त० भादरा।
2. बनवारी पुत्र भूरा जाति मेघवंशी निवासी बोझला त० भादरा।
3. कृष्ण पुत्र भूरा जाति मेघवंशी निवासी बोझला त० भादरा।
4. रामस्वरूप पुत्र भूरा जाति मेघवंशी निवासी बोझला त० भादरा।
5. बेगराज पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवंशी निवासी बोझला त० भादरा।
6. नेकीराम पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवंशी निवासी बोझला त० भादरा।

:- वादीगण

ब नाम

1. सींगा पुत्र भागमल जाति मेघवंशी निवासी बोझला त० भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत जोत विभाजन अन्तर्गत**  
**धारा 53 आर टी एक्ट 1955**

आज यह वाद मुझ श्रीमति शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री किशनलाल यादव तथा वकील प्रतिवादी दल श्री बनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा बोझला के खाता सं० 94/90 के खसरा न० 58 की 1.606 है० खसरा सं० 78 की 0.253 है० खसरा सं० 93 की 2.163 है० खसरा सं० 241 की 4.401 है० खसरा सं० 261 की 2.694 है० खसरा सं० 268 की 7.487 है० कुल 18.604 है० बाराणी खातेदारी में वादीगण सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा में वादीगण सं 5 व 6 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 1 सींगा का 1/3 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतु पेश किया है। अतः वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया गया कि रोही मौजा बोझला के खाता सं० 94/90 के खसरा न० 58 की 1.606 है० खसरा सं० 78 की 0.253 है० खसरा सं० 93 की 2.163 है० खसरा सं० 241 की 4.401 है० खसरा सं० 261 की 2.694 है० खसरा सं० 268 की 7.487 है० कुल 18.604 है० बाराणी खातेदारी में वादीगण सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा में वादीगण सं 5 व 6 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 1 सींगा का 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि का काअच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा दिनांक 26.04.2021 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारों को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमत दल की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-




हिस्सा मुखराम, बनवारी, कृष्ण व रामस्वरूप वल्द भूरा जाति मेघवंशी सा. बोझला :- रोही मौजा बोझला के वर्तमान खाता संख्या 90/94 के खसरा नं. 58/2 की 1.100है0, खसरा सं0 241/2 की 2.201है0, खसरा सं0 261/2 की 1.347है0, खसरा सं0 268/3 की 1.553है0 कुल 6.201है0 बारानी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में लाल रंग के अनुसार।

हिस्सा सींगा वल्द भागमल जाति मेघवंशी सा0 बोझला:- रोही मौजा बोझला के वर्तमान खाता संख्या 90/94 के खसरा नं. 78/1 की 0.169है0, खसरा सं0 93/1 की 1.442है0, खसरा सं0 241 की 2.200है0, खसरा सं0 261/1 की 1.347है0, खसरा सं0 268/1 की 1.043है0 कुल 6.201है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में आसमानी रंग के अनुसार।

हिस्सा बेगराज नेकीराम वल्द ख्यालीराम जाति मेघवंशी सा0 बोझला:- रोही मौजा बोझला के वर्तमान खाता संख्या 90/94 के खसरा नं. 58/1 की 0.506है0, खसरा सं0 78/2 की 0.084है0, खसरा सं0 93/2 की 0.721है0, खसरा सं0 268/2 की 4.891है0, कुल 6.202है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में हरा के अनुसार।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक...21.10.21...को हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(शकुन्तला चौधरी)  
(सिद्धि प्रभारी R.A.S.)  
सहायक कलक्टर (पंचायत) नैनी  
सहायक कलक्टर के सग अ.-2021  
कैमरा, जिला हनुमानगढ़  
भादरी, जिला हनुमानगढ़  
21/10/21

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी :-श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं० : 23/2018**

**अनवान :**

1. मुखराम पुत्र भूरा जाति मेघवंशी निवासी बोझला त० भादरा।
2. बनवारी पुत्र भूरा जाति मेघवंशी निवासी बोझला त० भादरा।
3. कृष्ण पुत्र भूरा जाति मेघवंशी निवासी बोझला त० भादरा।
4. रामस्वरूप पुत्र भूरा जाति मेघवंशी निवासी बोझला त० भादरा।
5. बेगराज पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवंशी निवासी बोझला त० भादरा।
6. नेकीराम पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवंशी निवासी बोझला त० भादरा।

**:-वादीगण**

**ब न म**

1. सींगा पुत्र भागमल जाति मेघवंशी निवासी बोझला त० भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

**:- प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत : खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

**अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज०क्रा०अधि 1955**

**उपस्थिति : वकील श्री किशनलाल यादव : वादीगण**

**वकील श्री दलबीर बैनिवाल : प्रतिवादी**

**निर्णय**

**दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है किरोही मौजा बोझला के खाता सं० 94/90 के खसरा न० 58 की 1.606है० खसरा सं० 78 की 0.253है० खसरा सं० 93 की 2.163है० खसरा सं० 241 की 4.401है० खसरा सं० 261 की 2.694है० खसरा सं० 268 की 7.487है० कुल 18.604है० बारानी खातेदारी में वादीगण सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा में वादीगण सं 5 व 6 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 1 सींगा का 1/3 हिस्साकृषि भूमिराजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 बाद तामिल जवाब पेश किया गया। पत्रावली में साक्ष्य पेश किया गया। साक्ष्य वादी में वादी मुखराम पुत्र भूरा जाति मेघवंशी निवासी बोझला द्वारा पेश नजरी नक्शा प्रदर्श 1 व जमावंदी रोही बोझला संवत 2069-72 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी में सींगा पुत्र भागमल जाति मेघवंशी निवासी बोझला के ब्यान करवाये गये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादीगण ने रोही मौजा बोझला के खाता सं० 94/90 के खसरा न० 58 की 1.606है० खसरा सं० 78 की 0.253है० खसरा सं० 93 की 2.163है० खसरा सं० 241 की 4.401है० खसरा सं० 261 की 2.694है० खसरा सं० 268 की 7.487है० कुल 18.604है० बारानी खातेदारी में वादीगण सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा में वादीगण सं 5 व 6 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 1 सींगा का 1/3 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतु पेश किया है। अतः वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया गया कि रोही मौजा बोझला के खाता

(किशोर प्रजापति)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
प्र.गा. के सं. अ.-2021

केस नं० 23/2018

सं० 94/90 के खसरा न० 58 की 1.606है० खसरा सं० 78 की 0.253है० खसरा सं० 93 की 2.163है० खसरा सं० 241 की 4.401है० खसरा सं० 261 की 2.694है० खसरा सं० 268 की 7.487है० कुल 18.604है० बारानी खातेदारी में वादीगण सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा में वादीगण सं 5 व 6 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 1 सींगा का 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि का काअच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा दिनांक 26.04.2021 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

**हिस्सा मुखराम, बनवारी, कृष्ण व रामस्वरूप वल्द भूरा जाति मेघवंशी सा. बोझला :-**

रोही मौजा बोझला के वर्तमान खाता संख्या 90/94 के खसरा नं. 58/2 की 1.100है०, खसरा सं० 241/2 की 2.201है०, खसरा सं० 261/2 की 1.347है०, खसरा सं० 268/3 की 1.553है० कुल 6.201है० बारानी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में लाल रंग के अनुसार।

**हिस्सा सींगा वल्द भागमल जाति मेघवंशी सा० बोझला:-**


रोही मौजा बोझला के वर्तमानखाता संख्या 90/94 के खसरा नं. 78/1 की 0.169है०, खसरा सं० 93/1 की 1.442 है०, खसरा सं० 241 की 2.200है०, खसरा सं० 261/1 की 1.347है०, खसरा सं० 268/1 की 1.043है० कुल 6.201है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में आसमानी रंग के अनुसार।

**हिस्सा बेगराज नेकीराम वल्द ख्यालीराम जाति मेघवंशी सा० बोझला:-**

रोही मौजा बोझला के वर्तमान खाता संख्या 90/94 के खसरा नं. 58/1 की 0.506है०, खसरा सं० 78/2 की 0.084है०, खसरा सं० 93/2 की 0.721है० खसरा सं० 268/2 की 4.891है०, कुल 6.202है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि मुताबिक नक्शा में हरा के अनुसार।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री संलग्न कर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर्रे कोर्ट कैम्प प्रशासन गांव के संग बोझला में सुनाया गया।

  
(शकुन्तला चौधरी)  
(निधि उपाय) R.A.S.  
सहायक कलेक्टर (पंचसहेक) कैला  
प्र.ग. के संग अ.-2021  
भादरा, जिला हनुमानगढ़  
बोझला